

पत्रांक:- 214 / 14 सी0

दिनांक:- 14 / 02 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौड़ी (गढ़वाल)

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरौखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्रामसभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 4109/12-1 दिनांक 10.06.2024।
महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या 1705/FP/UK/ROAD/40897/2019 की सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 117/(1)X-3-20/I/(14) 2020 दिनांक 18.03.2019 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार है।

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 556128.00 दि0 01.12.2020 को चालान संख्या 6140897942 उत्तरांचल कैम्पा के नाम विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है। संलग्नक -1
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एम0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एम0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) को निर्धारित धनराशि रु0 650430.00 दि0 01.12.2020 को चालान संख्या 614089742 उत्तरांचल कैम्पा के नाम विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है। संलग्नक -1
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वर्तमान में अगर एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक -2
4	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एम0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा सं0 एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) बलाक-11 भूतन सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की धनराशि सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एम0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 650430.00 रोड साईड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु रु0 556128.00 कुल रु0 1206558.00 की धनराशि दि0 01.12.2020 को चालान संख्या 61401897942 उत्तरांचल कैम्पा के नाम विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, (छायाप्रति संलग्न)। संलग्नक -1
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा (छायाप्रति संलग्न)। संलग्नक -3
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तों का

	का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतापजनक अनुपालन होगा की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	अनुपालन किया जायेगा। संलग्नक-4
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्तनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्री कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को अग्रसारित करने का कष्ट करें।
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

पत्रांक:- / 14 सी0 दिनांक:- / /
प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षण (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 18 मार्च, 2019

विषय: जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1705/FP/UK/ROAD/40897/2019 दिनांक 15 जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.3 में दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।


(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: (1)/X-3-20/1(14)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो, पौड़ी।
7. गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

ROAD-101242015497	6110124497	27 Aug 2018	CA: 74359/- P.C.A: 0/- Safety Zone: 0/- P.V: 1031745/- Other Charges: 0/- Other Charges: 0/- Total: 178094/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date : 17 Apr 2021 : Union Bank Of India : Union Bank Of India (Challan) : 17 Apr 2021 : 29 Jun 2021
ROAD-123092015132	6112309132	21 Jan 2019	CA: 601316/- P.C.A: 0/- Safety Zone: 0/- P.V: 709460/- Other Charges: 0/- Other Charges: 0/- Total: 1311476/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date : 26 Mar 2021 : Union Bank Of India : Union Bank Of India (Challan) : 30 Mar 2021 : 29 Jun 2021
ROAD-408972019442	6140897942	18 Mar 2020	CA: 0/- P.C.A: 0/- Safety Zone: 0/- P.V: 554280/- Other Charges: 0/- Other Charges: 0/- Total: 1296558/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Road side plantation: 555128/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date : 17 Nov 2020 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 23 Nov 2020 : 21 Dec 2020
ROAD-467202019385	6140720285	03 Feb 2020	CA: 0/- P.C.A: 0/- Safety Zone: 0/- P.V: 650420/- Other Charges: 0/- Other Charges: 0/- Total: 158082/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Road side plantation: 505571/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date : 03 Jul 2020 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 06 Aug 2020 : 13 Aug 2020
ROAD-435042019405	6143504405	18 Mar 2020	CA: 530860/- P.C.A: 0/- Safety Zone: 0/- P.V: 620865/- Other Charges: 0/- Other Charges: 0/- Total: 1159825/-	Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Model Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date : 28 Jun 2020 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 06 Aug 2020 : 13 Aug 2020

प्लान 5-2



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

पत्रांक:-

/

दिनांक:-

/

/2024

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।


AE


(इं० लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
बैजरो (गढ़वाल)

प्रारूप-30

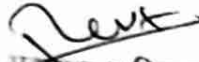
परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 4.000 कि०मी० (स्वीकृत लम्बाई 6.000 कि०मी०)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न कर दिये गये हैं।



कृषि अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)



अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)



दिनांक 13-5-2018 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1- सर्व श्री धीराज सिंह गर्बाल	जिलाधिकारी गढ़वाल	अध्यक्ष	
2- श्री लक्ष्मण सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	सदस्य	
3- श्री राम सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य	
4- श्री यशपाल पट्टाल	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य	

बताया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन(ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 4.000 कि०मी० (स्वीकृत लम्बाई 6.000 कि०मी०):- निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है :-

1- जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन(ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 4.000 कि०मी० (स्वीकृत लम्बाई 6.000 कि०मी०):- यह मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत मैठाणाघाट- ग्वीन- रसियामहादेव मोटर मार्ग के कि०मी० 6.000 में स्थित ग्राम - टंडोला से प्रारम्भ होता है तथा 4.000 कि०मी० लम्बाई में समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम - डांडाग्वीन है। इस मार्ग के निर्माण से ग्राम ग्वीन एवं ग्राम डांडाग्वीन के ग्रामीणों को मोटर मार्ग से यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी जो 3 से 4 कि०मी० तक का रास्ता पैदल तय करते हैं उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 283 एवं 85 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 368 जनसंख्या लाभान्वित होगी। जिसमें जनपद गढ़वाल में 0.120 कि०मी० लम्बाई में सिविल वनभूमि, 0.000 कि०मी० में सिविल वनपंचायत भूमि, 0.980 कि०मी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि एवं 2.900 कि०मी० लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोंपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।

श्री 231 14/5/18

महायुक्त अमियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०
पौड़ी गढ़वाल

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति थलीसेण से प्राप्त जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन(ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य 4.000 कि०मी० (स्वीकृत लम्बाई 6.000 कि०मी०):- निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.108 है० सिविल भूमि, 0.000 है० सिविल वन पंचायत भूमि, 0.882 है० आरक्षित वनभूमि इस प्रकार कुल वनभूमि 0.990 है० लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(धीराज सिंह)
जिलाधिकारी
गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो, गढ़वाल

पत्रांक 1192/8- LACC 2018-19

दिनांक 28/13, 2019

- प्रतिलिपि -
- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(आदर्श गोपाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)

स्वयं प्रति (अभिजाति)

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Danda Guveen (Gram Sabha Guveen) Motor Road in Bironkhal Block, Distt Pauri Garhwal, Length 4.000 km regarding F.R.A. is as following:-

Sl. No.	Remarks
(a) The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.990 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b) The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Member District Board
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

Assistant Engineer
N. D. Division Pauri
देजरो (गढ़वाल)

Deputy Commissioner
Pauri Garhwal

सहायक अभियन्ता

नेमाण खण्ड लो० वि० वि०

सहायक अभियन्ता
नेमाण खण्ड लो० वि० वि०
देजरो (पौड़ी) गढ़वाल.

:: प्रारूप-30.1 ::

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj singh Garbyal I.A.S deputy commissioner Garhwal on dated 13.5.2019 at time 10.30 AM at Pauri in which application claiming rights in Danda Guveen area measuring 0.990 hect for the construction of Danda Guveen (GramSabha Guveen) Motor Road in Bironkhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 4.000 km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Thalishain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri.....

Dated: 13.5.2019


Deputy Commissioner - Chairman
District Level Committee
गढ़वाल

सहायक अभियन्ता


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोनिवि
पू. बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1192/8-LACC 2018-19)

Dated May 13, 2019

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Division C.D. PWD Baijro for Danda Guveen (GramSabha Guveen) Motor Road in Bironkhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 4.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Danda Guveen village (s) in Thalishain tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.

शुभ ७ अक्टूबर २०१९



महायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड इंजीनियर
श्री वैजरो (पैदा) गढ़वाल


(Dhiraj Singh Garhwal)
District Collector, Garhwal

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1192/8-2AC (2018-19)

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

Dated May 13, 2019

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D. PWD **Baijro** (name of user agency) for **Danda Guveen (Gram Sabha Guveen) Motor Road** in **Bironkhal Block, Distt Pauri Garhwal**. Length 4.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of **Danda Guveen** village (s) in **Thalisain** tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the gram sabha of **Danda Guveen** villages(s) is enclosed as annexure III to annexure VIII.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above

(Signature)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लेनोवि
बैजरो (निंडा मंडल)

(Signature)
(Dhiraj Singh (Ptyal))
District Collector, Garhwal
पट्टवाल

:: प्रारूप-30.2 ::

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 4.000 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी थलीसैण

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति थलीसैण

उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 4.000 कि०मी०) (0.88 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.108 हे० शिविल एवं सौयम वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.99 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीसैण) की दिनांक 17-3-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों के उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री उप जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी
- 2- श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री बी०डी०सी० क्षेत्र बी०डी०सी० क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 4.000 कि०मी०) परियोजना हेतु 0.99 हे० वनभूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री उप जिलाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 4.000 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु 0.99 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-थलीसैण

जनपद - पौड़ी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-थलीसैण
जनपद - पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, गढ़वाल (पौड़ी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्र पंचायत सदस्य
ग्राम ग्वीन
दिनांक.....

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोन्गि
डांडा ग्वीन (पौड़ी गढ़वाल)

परियोजना का नाम :- डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) हेतु मोटर मार्ग

प्रारूप-30.3

67

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

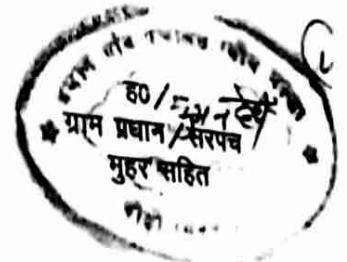
ग्राम पंचायत का नाम ग्वीन प्रखण्ड
तहसील थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल दि. 30-7-2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) हेतु मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.882 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.108 हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्वीन द्वारा दिनांक 30.7.18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डांडा ग्वीन व ग्राम सभा ग्वीन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित



3

ग्राम प्रधान
ग्राम सभा
विकास कार्य निदेशावली

क्षेत्र पंचायत सदस्य
ग्राम ग्वीन
दिनांक

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड
पौड़ी गढ़वाल

:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 30/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ... (हस्ताक्षर) ग्राम - ...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पवेली देवी	पवेली देवी
2	श्यामसिंह	श्यामसिंह
3	दीपनसिंह	दीपनसिंह
4	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
5	राजेश सिंह	राजेश सिंह
6	श्यामसिंह	श्यामसिंह
7	सादर सिंह	सादर सिंह
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

ग्राम सभा अध्यक्ष

सहायक आयुक्त

निर्माण खण्ड कोटनोवि

ग्राम सभा (पिंडी मंडला)

क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष

ग्राम सभा अध्यक्ष

दिनांक

हो/-

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) हेतु मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ग्वीन प्रखण्ड
तहसील थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल दि. 30-07-2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत डांडा ग्वीन (ग्राम सभा ग्वीन) हेतु मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.882 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.108 हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्वीन द्वारा दिनांक 30-07-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डांडा ग्वीन व ग्राम सभा ग्वीन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित



Handwritten signature and date: 19/9/2018
ग्राम सचिव
मुहर सहित

क्षेत्र पंचायत सदस्य
ग्राम ग्वीन प्रखण्ड
दिनांक.....

सहायक आयुक्त

Handwritten signature

सहायक आयुक्त

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग

पौड़ी गढ़वाल

दिनांक 20/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

प्रा.प-30.4

70

क्रमांक	ग्राम पंचायत	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	उदयसिंह पट्ट	उदयसिंह
2		एज्जो ह.सिंह	एज्जो
3		दा.पकसिंह	दा.पकसिंह
4		पालसिंह	पालसिंह
5		अनोदा देवी	अनोदा देवी
6		लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
7		मोहनसिंह नेगी	मोहनसिंह
8		आनन्दी देवी	आनन्दी देवी
9		राजेंद्रसिंह नेगी	राजेंद्रसिंह
10		दिलेश्वरसिंह	दिलेश्वरसिंह
11		दर्शनसिंह नेगी	दर्शनसिंह
12		नीता देवी	नीता देवी
13		सन्तोषसिंह नेगी	सन्तोषसिंह
14		अनवरसिंह नेगी	अनवरसिंह
15		दिलपतसिंह विष्ट	दिलपतसिंह
16		दलीपसिंह विष्ट	दलीपसिंह
17		वीरेंद्रसिंह विष्ट	वीरेंद्रसिंह
18		सुरेंद्रसिंह	सुरेंद्रसिंह

1. उदयसिंह
 2. एज्जो
 3. दा.पकसिंह
 4. पालसिंह
 5. अनोदा देवी
 6. लक्ष्मी देवी
 7. मोहनसिंह नेगी
 8. आनन्दी देवी
 9. राजेंद्रसिंह नेगी
 10. दिलेश्वरसिंह
 11. दर्शनसिंह नेगी
 12. नीता देवी
 13. सन्तोषसिंह नेगी
 14. अनवरसिंह नेगी
 15. दिलपतसिंह विष्ट
 16. दलीपसिंह विष्ट
 17. वीरेंद्रसिंह विष्ट
 18. सुरेंद्रसिंह

507-
 ग्राम प्रधान
 अमर

क्षेत्र पंचायत सदस्य
 ग्राम प्रधान
 दिनांक

संलग्नक - 2



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरा (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijra (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

पत्रांक:-

दिनांक:- / / 2024

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।


AE

(इं० लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
बैजरा (गढ़वाल)



सेल नंबर - 34



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

पत्रांक:-

दिनांक:- / / 2024

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।


AE


(इ० लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
बैजरो (गढ़वाल)